न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11 / 2017

प्रविष्टि दिनांक 16.06.2017

देवकरण पुत्र गोपी जाति गूर्जर निवासी कंवरपुरा, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
.........आवेदक

बनाम

1–रामसुख पुत्र गोपी जाति गूर्जर निवासी कंवरपुरा, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2–लादी पत्नि रामसुख जाति गूर्जर निवासी कंवरपुरा, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
3–नारायणी पत्नि देवकरण जाति गूर्जर निवासी कंवरपुरा, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
4–तहसीलदार देवली, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर, तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 15.12.2001 ।

उपस्थिति : (1) श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री अजय सिंह सोलंकी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1व 2

<u>निर्णय</u> दिनांक 20/12/24

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू–आवण्टन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा आवेदक तथा अप्रार्थी सं0 1ता 3 को आराजी खसरा नं0 895 रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा, तहसील देवली जिला टोंक का आवंटन दिनांक 15.12.2001 को किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी सं. 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति, देवली का उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार मौके पर जाकर कोई जॉच नही की है और ना ही राजस्व रिकार्ड का गहनता पूर्वक अवलोकन किया है। भूमि आराजी खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नम्बर 164 थे, जिस पर आवेदक सन् 1976 से से काबिज, काश्त चला आ रहा है। वर्णित आराजीयात आवेदक के नाम गैर खातेदारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

से खातेदारी मे उपखण्ड अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 03.05.1976 मे दर्ज हुई थी तथा आवेदक स्वंय ने भी आराजी खसरा नम्बर 790 के लिये आंवटन हेतु आवेदन पेश किया था, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आवंटन पत्र में खसरा नम्बर 895 भी अंकित कर दिया, जबकि खसरा नम्बर 895 जिसके साबिक खसरा नम्बर 164 है, उसमें से आवेदक को 0.86 हेक्टेयर भूमि पूर्व मे आवंटित की जा चुकी थी और गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार आवेदक को प्राप्त हो चुके थे। किन्तु उसके उपरांत भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 895 को अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को आवंटित कर दी गई, जबकि उक्त भूमि से अप्रार्थी सं0 1ता 3 का कोई सम्बन्ध नही है। उक्त भूमि पर आवेदक सन् 1976 से पूर्व से ही काबिज, काश्त चला आ रहा है। किन्तु उसके उपरांत भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गलत रूप से आवेदक की खातेदारी की भूमि को अप्रार्थी सं० 1 ता 3 को आवंटित कर दी गई है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 कभी उक्त खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हैक्ट0 पर काबिज भी नहीं रहे है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आवंटन के पश्चात आवंटन की शर्तों की पालना भी नही की है। उन्होंने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत तथ्यो एंव साक्ष्य पेश कर उक्त आवंटन अपने पक्ष में करवाया है। ना तो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रकिया अपनायी गई है और ना ही आवेदक को कभी उक्त खसरा नम्बर 895 से बेदखल किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर आवेदक को पूर्व मे आवंटित हो चुका था तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे तथा विधि का सुस्थापित नियम है कि पूर्व मे किये गये आवंटन को जब तक निरस्त नही किया जाता तब तक उक्त भूमि से पश्चातवर्ती आवंटन नहीं किया जा सकता तथा पूर्व मे जो आवंटन है, वह बहाल रहता है। आराजी खसरा नम्बर 790 के आवंटन हेतु आवेदक तथा अप्रार्थी सं० 1 ता 3 ने संयुक्त रूप से आवेदन किया गया था किन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने गलत रूप से राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत करते हुए खसरा नम्बर 895 को भी आवंटन आवेदन मे इन्द्राज करवा लिया। जबकि उक्त खसरा नम्बर 895 का आवेदक को पूर्व मे आवंटन किया जा चुका था और खातेदारी अधिकार आवेदक को प्राप्त हो चुके थे। आवेदक को उक्त आवंटन आदेश की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी, सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी सं01 व 2 द्वारा आवेदक के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी देवली के न्यायालय मे प्रस्तुत वाद के नोटिस प्राप्त होने पर हुई, जिस पर आवेदक ने अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को आवंटित आदेश के सम्बन्ध मे नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया एवं नकल प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा को प्रस्तुत किया। आवेदन पेश करने में हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी प्रस्तुत है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पक्ष में भूमि खसरा नं0 895 रकबा 0.87 हेक्टेयर के आवंटन आदेश दिनांक 15.12.2001 को निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हेक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का दिंनाक 15.12.2001 को किया गया आवंटन सही है। आवंटन आदेश मौके पर जांच करके विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 895 के साबिका खसरा नम्बर 164 मिन है जिसका रकबा काफी बडा है पूर्व में आवेदक की गेर खातेदारी में साबिका खसरा नम्बर 164/1/1 रकबा 5 बीघा अंकित रही है जिस पर ही उसका कब्जा रहा है। जिसका अंकन खसरा गिरदावरी में भी 164/1/1 रकबा 5 बीघा वाके कंवरपुरा में आवेदक का अंकित है। और खसरा नम्बर 164/1/1 का हाल खसरा नम्बर 893 रकबा 1.34 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के है। भूमि खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हेक्टेयर पर पूर्व कभी भी आवेदक का कब्जा नहीं रहा है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड में आवंटन से पूर्व

सिवाय चक भूमि थी जिसको सही रूप से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदक व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को विधि अनुरूप आवंटन की गई है। आवंटन शुदा भूमि खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हेक्टर वाके कवंरपुरा के 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिपक्षीगण का आवंटन की तिथी से लगातार निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आवेदक व विपक्षी संख्या 3 के साथ भूमि खसरा नम्बर 895 के लिए आवेदन किया था। आवेदक का इस भूमि पर आवंटन से पूर्व कभी भी कब्जा नहीं रहा है। आवेदक का कब्जा हाल खसरा नम्बर 893 रकबा 1.34 हेक्टर पर ही रहा है। आवेदक उक्त भूमि के कब्जे की आड में अप्रार्थीगण के आवंटन शुदा भूमी 895 की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की दृष्टि से यह आवेदन झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है।

उक्त आवंटन की जानकारी आवेदक को आवंटन की तिथी से ही थी, क्योंकि खसरा नम्बर 895 रकबा 0.87 हेक्टर वाके कंवरपुरा का आवंटन स्वंय आवेदक व उसकी पत्नि प्रतिपक्षी संख्या 3 एवं प्रतिपक्षी संख्या 1, 2 को हुआ है तथा आवंटन की प्रक्रिया के अनुसार मौके पर सुपुदर्गीनामा दिया गया है। आवेदक की नियत में बेईमानी आने व सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम अंकित करवाने की नियत से यह आवेदन पेश किया है जो निरस्त योग्य है।

विवादित भूमि आवंटन से पूर्व सिवाय चक भूमि थी। और आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया अपना कर उपयोग व अनउपयोगी भूमि की पटवारी हलका से सूची तैयार करवायी जाकर विधिक प्रक्रिया के अनुसार उदघोषणा जारी करके प्रतिपक्षी संख्या 1, 2 व 3 तथा आवेदक द्वारा आवेदन भरने के उपरान्त ही आवंटन की गई है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 आवंटन की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि को सन 2001 से लगातार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। आवेदक व पतिपक्षी सं0–1 दोनों सगे भाई है। उक्त आवंटन दिनांक 15.12.2001 को किया गया था परन्तु आवेदक ने उक्त आवंटन की जानकारी होने के बावजूद भी लगभग 17 वर्ष बाद उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु उक्त आवेदन पेश किया है जो कि मियाद से बाहर है। तथा इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में बताये गये कारण निराधार है। अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि भू–आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा आवेदक एवं अप्रार्थी सं0 1 से 3 को आराजी खसरा नं0 895 रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का आवंटन दिनांक 15.12.2001 को किया गया था, उक्त भूमि आवटंन से पूर्व सिवाईचक थी जो आवंटन योग्य थी। आवेदक तथा अप्रार्थी सं0 1 दोनों सगे भाई है तथा अप्रार्थी सं0 3 आवेदक की पत्नि है। आवंटन की प्रकियानुसार समस्त आवंटी को उक्त भूमि का सुपुदर्गीनामा दिया गया था। आवंटन पत्रावली में संलग्न आवेदन पत्र में आवेदक तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम आवेदक के रूप में अंकित है तथा आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर भी है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को उक्त भूमि के आवंटन के संबंध में आवंटन की दिनांक से ही जानकारी थी। इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 17 वर्षों बाद पेश किया गया है जो कि मियाद से बाहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र अ0 धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में जो कारण बताये है वो पूर्णतया निराधार व असत्य प्रतीत होते है।

आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा आवेदक तथा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के हक मे आराजी खसरा नं0 895 रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र आवेदक अस्वीकार किया जाकर दिनांक 15–12–2001 को आवेदक तथा अप्रार्थी सं0 1 से 3 के हक में आराजी खसरा नं0 895 रकबा 0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील देवली का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक